जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-28.09.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा गौ-तस्करों से हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 गौ तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, 02 जिन्दा, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर, गौवंश अवशेष एवं पशु कटान के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 27.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में गौ तस्करी की सूचना पर थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामडा तिराहे के पास जाने वाले रास्ते पर गौ तस्करों से हुई पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में गौ तस्कर अभियुक्त सोनू उर्फ शानू पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मोहल्ला आलकलां, हरिजन मंदिर के पीछे, कस्बा व थाना कैराना, जनपद शामली को घायल/गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सोनू उर्फ शानू उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, पशु कटान के उपकरण (02 छुरियां) व गौवंश अवशेष व एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त सोनू उर्फ शानू उपरोक्त के 03 साथी मौके से फरार हो गये है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सोनू उर्फ शानू पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मोहल्ला आलकलां, हरिजन मंदिर के पीछे, कस्बा व थाना कैराना, जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 402/2019 धारा 429 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 439/2023 धारा 5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कैराना जनपद शामली

3.मु0अ0स0 276/2024 धारा 3,11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

2.गौवंश के अवशेष।

3.पशु कटान के उपकरण (02 छुरियां)।

4.एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा ड़ायरी व पैन बरामदः-

दिनांक 27.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 610/- रुपये एवं सट्टा ड़ायरी व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सोनू पुत्र रामदिया निवासी ग्राम पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 610/- रुपये।

2.सट्टा ड़ायरी व पैन।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामदः-</u>

दिनांक 27.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त वाशु पुत्र देवेंद्र निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.वाशु पुत्र देवेंद्र निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1.अवैध 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

थाना कांधला पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 350 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **“ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में आज **दिनांक 28.09.2025 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर जावेद पुत्र अनीश निवासी हमजा कालोनी सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली को अवैध 350 ग्राम चरस सहित** गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0- 403/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जावेद उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.जावेद पुत्र अनीश निवासी हमजा कालोनी सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 350 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
- का0 सुमित कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। **“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई टयूबवैल चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटना में लिप्त हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार-कारतूस व चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत दिनाँक 01/02.09.2025 को ग्राम खन्द्रावली के जंगल में स्थित 06 टयूबवैल/नलकूपों से तथा दिनाँक 17/18.09.2025 की रात्रि में कांधला देहात के जंगल में स्थित 04 टयूबवैल/नलकूपों से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कांधला पर मु0अ0सं0 369/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 392/2025 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किये गये थे। थाना कांधला पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनाँक 28.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई टयूबवैल चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटना में लिप्त हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गौरव उर्फ लोकेश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया सामान विद्युत केबिल व तांबे का तार बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.गौरव उर्फ लोकेश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी की विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस।

2.टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया सामान (विद्युत केबिल व तांबे का तार)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 283/2020 धारा 307/323/452/504/506 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 286/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 29/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 360/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 460/2013 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 461/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 04/2014 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कांधला जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 362/2014 धारा 302 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 277/2016 धारा 386 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 145/2016 धारा 386 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

11.निवारक कार्यवाही संख्या 138/2020 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

12.मु0अ0सं0 369/2025 धारा 303 (2)/317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

13.मु0अ0सं0 392/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

14.मु0अ0सं0 404/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।

कोतवाली
कार्यालय

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी नगदी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 04.09.2025 की रात्रि में सोनू पुत्र स्व0 श्री घनश्याम निवासी मौहल्ला लाल मस्जिद थाना थानाभवन जनपद शामली की चरथावल बस स्टैण्ड स्थित दुकान का शटर उखाड़कर गल्ले से 1,000/- रुपये नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 28.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त अनस पुत्र मौहम्मद मोईन निवासी काशीराम कालोनी थाना थानाभवन जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी नगदी 230/- रुपये बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अनस पुत्र मौहम्मद मोईन निवासी काशीराम कालोनी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी नगदी 230/- रुपये।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI